

## प्रपत्र-VIII(B)

शहरी क्षेत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा-पत्र-सह-व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरणी:-

समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा-पत्र

मैं ..... पिता/पति-.....

श्रेणी-सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु-.....  
झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि -

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्याम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हैं.
2. व्यक्तिगत आधार पर -
  - (i) मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हूँ अथवा,
  - (ii) मैं विधवा या परित्यक्ता हूँ अथवा,
  - (iii) मैं निःशक्त व्यक्ति हूँ एवं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है अथवा,
  - (iv) मैं कैंसर/एडस/कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ अथवा,
  - (v) मैं भिखारी या गृहविहिन व्यक्ति हूँ।
3. पारिवारिक आधार पर -
  - (i) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper) अथवा,
  - (ii) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्षाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller) अथवा,
  - (iii) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

जो लागू हो उसे टिक (✓) लगा दें।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को टूँगा/टूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर: .....

दिनांक : .....

नाम: .....

नोट:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होगी। परिवार में व्यस्क महिला न होने की स्थिति में पुरुष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न - परिवार की सूची)

**पता**

वाई सॉ -

मोहल्ला -

मतदान केन्द्र संख्या -  
याज्ञा -**शहरी जोन****परिवार की सूची**खातेदार का नाम: .....  
(परिवार का कोई भी सदस्य)दैंक का नाम: .....  
दैंक शाखा का नाम: .....दैंक खाता संख्या: .....  
आई.एफ.एस.सी.कोड: .....  
आई.एफ.एस.सी.कोड: .....

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पितापति का नाम	उमेर / पुरुष	महिला मुखिया से रिष्टा	महिला मुखिया से आधार संख्या	मोबाइल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

सदस्याधारकर्ता का हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

नोट:- 1. परिवार का सदस्य जिसका आधार ने, प्रतिष्ठ किया गया है, उसके आधार कार्ड की छायापति सलग्न करना आवश्यक है।

2. परिवार के किसी एक सदस्य का आवासीय प्रमाण-पत्र अथवा आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स अथवा अन्य कोई सरकारी कानूनात्मकी छायापति सलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. व्यक्तिगत आधार पर आवेदन देने वाले व्यक्ति सिर्फ अपना नाम एवं विवरण क्रम संख्या (1) में अंकित करेंगे तथा पारिवारिक आधार पर आवेदन करने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं विवरण अंकित करेंगे।